Annexure-B

Terms and Conditons

नई केन्द्रीय सैक्टर स्कीम ''प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन फॉर इन–सीटू मैनेजमैन्ट ऑफ क्रोप रैजीडयू इन दा स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उतर प्रदेश एण्डएन0सी0टी0 ऑफ दिल्ली'' के अधीन वर्ष 2018–19 में हरियाणा राज्य में कस्टम हायरिंग सैन्टर के लिए कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना करना।

1. इस स्कीम का उद्देश्य फसल अवशेषों के इन–सीटू (यथास्थान/खेत में) प्रबंधन संबंधी उपकरण/मशीनरी को खेती के विभिन्न चरणों के लिए किराये पर उपलब्ध करवाना है।
2. जिले में कस्टम हायरिंग सैन्टर (सी0एच0सी0) चिन्हित स्थान पर कलस्टर (समूह) आधार पर स्थापित किए जायेगें ।
3. प्रत्येक कस्टम हायरिंग सैन्टर (सी0एच0सी0) की कम से कम 10 हैक्टेयर प्रतिदिन तथा फसल अवधि में 200 हैक्टेयर भूमि को कवर करने की क्षमता होनी चाहिए ।
4. जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डी0एल0ई0सी0)सी0एच0सी0 की स्थापना के लिए किसानों, किसानों की सहकारी सोसाइटियों, एफ0पी0ओ, स्वयं सहायता समूह, रजिस्टर्ड किसान सोसाइटी/किसान समूह, प्राईवेट उद्यमी, महिला किसान समूह या स्वयं सहायता समूहसे आवेदन आमंत्रित करेगी तथा लाभार्थियों का चयन करेगी।
5. पुरानी स्थापित सी0एच0सी0 भी नई परियोजना में आवेदन करने के लिए पात्र होगी ।
6. किसान समूह/व्यक्तिगत किसान जिनके पास पहले से अपने ट्रैक्टर/कम्बाईन हारवैस्टर है उन्हें कस्टम हायरिंग सैन्टर (सी0एच0सी0) स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।
7. इन–सीटू फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की कस्टम हायरिंग सैन्टर (सी0एच0सी0) की परियोजना लागत रू0 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। तथापि यह सीमा किसानों की सहकारी सोसाइटियों, एफ0पी0ओ, स्वयं सहायता समूह, रजिस्टर्ड किसान सोसाइटी/किसान समूह तथा प्राईवेट उद्यमियों पर लागू नहीं होगी जिनके पास पहले से ही अन्य उपकरण उपलब्ध है **(नोटः वे श्रेणी जिनके पास पहले से ही कृषि यंत्र उपलब्ध हैं उन्हें नई परियोजना लागत 10 लाख रुपये से अधिक होने पर ही ट्रैक्टर लेना स्वीकृत होगा) ।**
8. कस्टम हायरिंग सैन्टर की स्थापना के लिए वितिय सहायता अधिकतम रू 75 लाख की परियोजना लागत तक ही सीमित होगी जिसमें परियोजना लागत का कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा इन–सीटू फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों का होना अनिवार्य है । शेष 65 प्रतिशत परियोजना लागत में अन्य उपकरण लिए जा सकते है । जिस पर अनुदान समैम स्कीम के मानको अनुसार उपलब्ध करवाया जायेगा ।

क्रं0स0	मद	अधिकतम परियोजना लागत	सहायता की पद्धति
क	इन–सीटू फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग सैन्टर की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता ।	परियोजना आधार 10–75 लाख (इन–सीटू फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों की लागत कुल परियोजना लागत की कम से कम 35 प्रतिशत होनी चाहिए)	• इन–सीटू फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण की परियोजना लागत का 80 प्रतिशत • शेष परियोजना के लिए परियोजना लागत का 40 प्रतिशत (यह वितिय सहायता समैम (SMAM) स्कीम के मानकों अनुसार उपलब्ध होगी।)

9. सी0एच0सी0 की परियोजना लागत में इन–सीटू फसल अवशेष/पराली प्रबंधन संबंधी उपकरणों (न्यूनतम 35 प्रतिशत) में निम्नलिखित उपकरण शामिल किए जायेगें ।

एग्रीकल्चर मशीनरी के प्रकार
1. कम्बाईन हारवैस्टर के साथ लगाई जाने वाली सुपर स्ट्रा मैनेजमैन्ट सिस्टम (सुपर एस0एम0एस0) ।
2. हैप्पी सीडर ।
3. पैडी स्ट्रा चोपर/सरेडर/मल्चर ।
4. शर्ब मास्टर/कटर कम सपरेडर ।
5. रिवर्सीबल एम बी प्लो ।
6. रोटरी सलेशर ।
7. जीरो टिल ड्रिल ।
8. रोटावेटर

10. इन–सीटू फसल अवशेष/ठुठी प्रबंधन उपकरण की खरीद **भारत सरकार के अधिकृत निर्माताओं** से की जायेगी । लाभार्थी अधिकृत सूची से अपनी पसन्द के अनुसार कोई ब्रान्ड खरीदने के लिए स्वतन्त्र है जिसका अधिकतम मूल्य केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है।

11. सी0एच0सी0 की परियोजना में अन्य कृषि उपकरणों–घटक (अधिकतम 65 प्रतिशत) में वही उपकरण शामिल होंगे जो समैम स्कीम के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए स्वीकृत किया गया है तथा केन्द्र सरकार के पोर्टल

www.agrimachinery.nic.in पर रजिस्टर्ड कृषि यंत्र निर्माता/कंपनी जिनकी मशीन भारत सरकार के प्राधिकृत किसी भी परिक्षण संस्थान द्वारा प्रमाणित हों।

12. (क) 25 लाख से अधिक की परियोजना लागत वाले कस्टम हायरिंग सैन्टर के लिए **बैंक से लोन लेना अनिवार्य है।**

(ख) संबंधित बैंक क्रेडिट लिन्कड कस्टम हायरिंग सैन्टर की अनुदान राशि को 3 वर्ष तक अपने पास लॉक करके रख सकता है ।

13. लाभार्थी कस्टम हायरिंग सैन्टर 5 वर्ष से पहले किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानान्तरित/गिरवी/बेच नहीं सकता जब तक की कार्य समय/भूमि प्रबंधन की शर्त पूरी नहीं हो जाती ।

14. कुल परियोजना लागत 10 लाख रुपये से 25 लाख तक होने पर 1 ट्रैक्टर को अन्य कृषि यन्त्रों की लागत में शामिल किया जा सकता है तथा कुल परियोजना लागत 25 लाख रुपये से 75 लाख तक होने पर 2 ट्रैक्टर शामिल किये जा सकते हैं ।

15. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस0एल0ई0सी0) के माध्यम से कृषि तथा किसान कल्याण विभाग कस्टम हायरिंग सैन्टर (सी0एच0सी0) के उपकरण/मशीनरी के **किराए के रेट/चार्जिज** तय करेगा ।

16. कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार कलस्टर के किसानों के लिए कृषि उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के अधीन स्थापित किये जाने वाले कस्टम हायरिंग सैन्टर (सी0एच0सी0) के साथ स्कीम की हिदायतों में दिए प्रारूप Annexure–VI के अनुसार **अनुबन्ध** किया जायेगा ।

17. स्थापित कस्टम हायरिंग सैन्टर (सी0एच0सी0) को कृषि विज्ञान केन्द्र (के0वी0के)/अधिकृत निर्माताओं/अनुमोदित कृषि यन्त्र जांच केन्द्रों, (FMTTIs) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों द्वारा मशीनों के रख–रखाव/प्रचालन तथा सेवा केन्द्र के सदस्यों/उद्यमियों को प्रशिक्षण देने बारे तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी ।

18. अनुसूचित जाति लाभार्थी (किसान समूह) के लिए बजट का आबंटन जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जायेगा ।

19. महिला लाभार्थियों (महिला किसान समूह) को बजट का 30 प्रतिशत आबंटन किया जायेगा।

20. आबंटित राशि का 50 प्रतिशत लघु तथा सीमान्त किसानों के लिए प्रयोग किया जायेगा ।

मॉडल–1

- परियोजना लागत – रू0 10.00 लाख
  - ➢ 35 प्रतिशत (कम से कम) स्ट्रा मैनेजमैन्ट कम्पोनैन्ट = रू0 3.50 लाख ।
    - ❖ आर्थिक सहायता 80 प्रतिशत की दर से = **रू0 2.80 लाख (100 प्रतिशत केन्द्रीय)।**
  - ➢ 65 प्रतिशत (अन्य उपकरण घटक) = **रू0 6.50 लाख ।**
    - ❖ आर्थिक सहायता 40 प्रतिशत की दर से = **रू0 2.60 लाख (समैम के अनुसार–60:40)।**
  - ➢ कुल आर्थिक सहायता= **रू0 5.40 लाख**

मॉडल–2

- परियोजना लागत – रू0 25.00 लाख
  - ➢ 35 प्रतिशत (कम से कम) स्ट्रा मैनेजमैन्ट कम्पोनैन्ट = रू0 8.75 लाख ।
    - ❖ आर्थिक सहायता 80 प्रतिशत की दर से = **रू0 7.00 लाख (100 प्रतिशत केन्द्रीय)।**
  - ➢ 65 प्रतिशत (अन्य उपकरण घटक) = **रू0 16.25 लाख।**
    - ❖ आर्थिक सहायता 40 प्रतिशत की दर से = **रू0 6.50 लाख (समैम के अनुसार–60:40)।**
  - ➢ कुल आर्थिक सहायता = **रू0 7.00 लाख + रू 06.50 लाख**

    = रू0 13.50 लाख